न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2020/00030

द्वारका आत्मज श्री कालू जाति मीणा निवासी ग्राम मेहराना तहसील तालेडा जिला बून्दी ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. पप्पू लाल आत्मज श्री बद्रीलाल जाति मीणा निवासी मेहराना तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
2. रामकल्याण आत्मज श्री बद्रीलाल जाति मीणा निवासी मेहराना तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
3. सौरभ आत्मज श्री बद्रीलाल जाति मीणा निवासी मेहराना तहसील तालेडा जिला बून्दी।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री ओमप्रकाश वर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री नवेद केसर, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 12.03.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेडा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.12.2019 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मेहराना तहसील तालेडा जिला बून्दी में कुल 05 किता की 42 बीघा 08 बिस्वा भूमि स्थित है । वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में एक वाद बाबत् विभाजन उपखण्ड अधिकारी बून्दी के न्यायालय में पेश किया गया था जिसमें दिनांक 05.05.2011 को निर्णय एवं डिक्री पारित कर वादी द्वारका लाल द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री कर दिया । बद्रीलाल का स्वर्गवास हो चुका है । नामान्तरकरण संख्या 1699 से दिनांक 13.03.2014 को मृतक बद्री के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 एवं संजू बाई पुत्री बद्री व मन्नी बाई पत्नी बद्री का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था । संजू बाई व मन्नी बाई ने अपने खाते व हिस्से की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के नाम रिलीज कर दी है इसलिये वर्तमान में उक्त भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 काबिज काश्त है । न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.05.

2011 के उपरान्त भी प्रतिवादीगण कम 1 लगायत 3 वादी को उसके हिस्से एवं कब्जे काश्त भूमि से जबरन बेदखल कर उनके कब्जे काश्त में हस्तक्षेप कर रहे हैं । प्रतिवादीगण कम 1 लगायत 3 द्वारा वादी के हिस्से में आई भूमि खसरा नम्बर 954/1 रकबा 04 बीघा 02 बिस्वा में से 02 बीघा 02 बिस्वा पर जबरन कब्जा कर रखा है । वादी अपने हिस्से व खाते की भूमि खसरा नम्बर 954/1 रकबा 04 बीघा 02 बिस्वा में से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 द्वारा जबरन कब्जा की गई 02 बीघा 02 बिस्वा भूमि से उन्हें बेदखल कर कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है । वादी खसरा नम्बर 954/1 रकबा 04 बीघा 02 बिस्वा का रिकॉर्डेड खातेदार है। वादी को अधिकार प्राप्त है कि वह प्रतिवादी कम 1 लगायत 3 द्वारा वादी के खाते की भूमि में से उनके द्वारा कब्जा की गई 02 बीघा 02 बिस्वा भूमि से उन्हें बेदखल कर कब्जा प्राप्त करे ।

3. अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादी के हिस्से एवं खाते की भूमि पर अनाधिकृत हस्तक्षेप नहीं करें और वादी के शांतिपूर्वक कब्जे काश्त में कोई व्यवधान पैदा नहीं करें । वादी के हिस्से एवं कब्जे की भूमि खसरा नम्बर 954/1 रकबा 04 बीघा 02 बिस्वा में से उनके द्वारा कब्जा की गई भूमि रकबा 02 बीघा 02 बिस्वा से प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा वापस वादी को दिलाया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 12.11.2018 के द्वारा उक्त वाद अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज कर दिया ।

5. वादी ने उक्त वाद को पुनः नम्बर पर लेने हेतु अधीनस्थ न्यायालय में रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि वादी ने गलत तारीख नोट कर ली थी इसलिए नियम तारीख पेशी पर उपस्थित नहीं हो सके ।

6. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.12.2019 के द्वारा वादी द्वारा प्रस्तुत रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया ।

7. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.12.2019 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दलीलों एवं नजीरों को अनदेखा कर केवल रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत दलीलों एवं नजीरों व कथन को ही सर्वोपरि मानकर निर्णय पारित किया है । प्रतिवादीगण के द्वारा उक्त वाद प्रस्तुत करने के 02 वर्ष बाद तक कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करने से अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्ट जवाब दिनांक 15.10.2018 को बन्द कर दिया और पत्रावली पर दिनांक 15.10.2018 को आगामी पेशी दिनांक 12.11.2018 साक्ष्य वादी हेतु प्रथम तारीख पेशी दे दी गई और उसी दिन प्रथम साक्ष्य वादी की तारीख पेशी पर ही अपीलान्ट वादी के बाद को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.12.2019 निरस्त फरमाया जावे ।

8. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि अपीलान्ट के दावे को अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 12.01.2018 को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज कर दिया । अपीलान्ट ने दिनांक 22.11.2018 को रेस्टोरेशन का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था और कथन किया था कि भूलवश दिनांक 12.11.2018 की जगह दिनांक 16.11.2018 तारीख पेशी सुन लिये जाने की वजह से ही वादी अपीलान्ट नियत दिनांक को तारीख पेशी पर उपस्थित नहीं हो सका । उनके अभिभाषक भी अन्य अदालतों में पैरवी करने में व्यस्त होने के कारण अदालत में उपस्थित नहीं हो सके । अतः प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर प्रकरण को पुनः नम्बर पर लिया जावे । अधीनस्थ न्यायालय ने न्याय के प्राकृति सिद्धान्तों के विपरीत प्रार्थना पत्र अपीलान्ट का खारिज किया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.12.2019 निरस्त फरमाया जावे ।

10. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट यह कथन करते हैं कि दिनांक 12.11.2018 की जगह दिनांक 16.11.2018 की तिथि नोट हो गई थी परन्तु वो दिनांक 16.11.2018 को भी परीक्षण न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए हैं । उनके द्वारा दिनांक 21.11.2018 को प्रार्थना पत्र बाबत् रेस्टोरेशन पेश किया गया है जबकि उन्हे दिनांक 16.11.2018 को ही न्यायालय में उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना चाहिए था । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.12.2016 बहाल रखा जावे ।

11. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अपीलान्ट का दावा दिनांक 12.11.2018 को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज हो गया था और अपीलान्ट के द्वारा रेस्टोरेशन का प्रार्थना पत्र दिनांक 21.11.2018 को पेश किया जा चुका था जो अन्दर मियाद है । ऐसी स्थिति में हम न्यायहित में अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत रेस्टोरेशन के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर दावा को पुनः नम्बर पर लिया जाना उचित समझते हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र अपीलान्ट खारिज करने में त्रुटि की है ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.12.2016 निरस्त किया जाता है । दावा वादी पुनः नम्बर पर लेने के आदेश दिये जाते हैं । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि दावे को पुनः नम्बर पर लेकर उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 30.04.2021 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

13. निर्णय आज दिनांक 12.03.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

12/03/2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा